"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 487] रायपुर, बुधवार, दिनांक 10 सितम्बर 2014—भाद्र 19, शक 1936

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 8 सितम्बर 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ 5–19/18/2012.– छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 432–ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, निम्नलिखित आदर्श उपविधियां बनाती है, अर्थात् :–

आदर्श उपविधियां

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.**– (1) ये उपविधियां निकासी जल (पुनर्चक्रण एवं पुनःउपयोग) उपविधियां, 2014 कहलायेंगे।

   (2) ये उपविधियां, छत्तीसगढ़ राज्य में नगरपालिक निगमों के प्रशासनिक क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों पर लागू होंगे।

   (3) ये उपविधियां, राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं.**– इन उपविधियों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

   (क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्र. 23 सन् 1956);

   (ख) "उपभोक्ता" से अभिप्रेत है व्यक्ति, चाहे वह एकल हो या फर्म हो या संस्था हो या उद्योग हो या कोई अन्य स्थापना हो, जिसके नाम से निगम या अभिकरण जो निगम क्षेत्र में जल आपूर्ति का प्रबंध कर रही हो, के द्वारा जल कनेक्शन प्रदान किया गया हो;

   (ग) "जल का घरेलू प्रयोजन" में ऐसा प्रयोजन सम्मिलित है जो कि प्रत्यक्ष रूप से मानव उपभोग से संबंधित है, जैसे पेय, खाना पकाना, कपड़ा धोना, स्नान, चाहे घर में हो या होटल, कार्यालय, उद्योग या किसी अन्य भवन या

सार्वजनिक स्थान में हो। इसमें ऐसा प्रयोजन सम्मिलित नहीं है जैसे वाहन धोना, फर्श धोना, बागवानी, शीतलन (कूलिंग) उपकरण या कोई अन्य उपयोग जो प्रत्यक्ष रूप से मानव उपभोग से संबंधित न हो;

(घ) "गैर–घरेलू प्रयोजन" से अभिप्रेत है घरेलू प्रयोजनों से भिन्न समस्त प्रयोजन;

स्पष्टीकरण– शौचालयों में फ्लशिंग के प्रयोजन हेतु जल का उपयोग, गैर–घरेलू प्रयोजन माना जायेगा;

(ङ) "निकासी जल" से अभिप्रेत है ऐसा जल जिसका घरेलू प्रयोजनों के लिये एक बार उपयोग किया गया हो;

(च) "पेययोग्य जल" से अभिप्रेत है घरेलू उपयोग, जिसमें पेय, खाना पकाना एवं स्नान सम्मिलित है, के लिये उपयुक्त जल;

(छ) "परिसर" से अभिप्रेत है आवास, होटल, आवासीय, व्यावसायिक अथवा मिश्रित कॉम्पलेक्स, दुकानें, शॉपिंग मॉल, सिनेमा घर, सार्वजनिक तथा निजी कार्यालय, उद्योग, आमोद–प्रमोद के स्थान, उद्यान एवं संनिर्मित या निर्माणाधीन समस्त भवनों सहित;

(ज) "पुनःउपयोग" से अभिप्रेत है निकासी जल, जिसे मूलतः घरेलू प्रयोजनों के लिये उपयोग किया गया हो, को सम्यक् रूप से पुनर्चक्रण के पश्चात्, उसको संग्रहित करने का प्रयास करना तथा उसका हानिरहित रूप में पुनःउपयोग करना;

(झ) "जल का अपव्यय" से अभिप्रेत है निम्नलिखित में से एक या अधिक उपयोग–

(एक) गैर–घरेलू प्रयोजनों के लिये पेययोग्य जल का उपयोग;

(दो) किसी परिसर में शुद्धता प्रणाली (व्यवस्था), जिसमें सम्मिलित है नल एवं वाल्व, जो रिसाव और/या वाल्व के लापरवाहीपूर्वक उपयोग के कारण होने वाले पेययोग्य जल के अपव्यय को रोकता है, के रखरखाव में कमी।

3. **विस्तार तथा लागू होना**.– (1) ये उपविधियां निम्नलिखित पर लागू होंगी–

(क) ऐसे प्रत्येक बड़े भवन पर, जिसका मालिक चाहे जो भी हो या चाहे वह (भवन) रहवासी हो, व्यावसायिक हो, औद्योगिक हो या कोई अन्य प्रयोजन वाला हो, जिसका प्लिंथ क्षेत्रफल 2000 वर्ग मीटर या अधिक हो तथा जिसके संबंध में भवन अनुज्ञा हेतु आवेदन, इन उपविधियों के प्रवृत्त होने के बाद, प्रस्तुत किया गया हो।

(ख) ऐसे प्रत्येक उपभोक्ता पर, जिसका वर्तमान या भावी, औसत मासिक जल उपभोग 50 किलो लीटर से अधिक हो।

(2) शासन या निगम, अधिसूचना द्वारा, किसी अन्य वर्ग के परिसर को भी इन उपविधियों की परिधि के अन्तर्गत शामिल कर सकेगा।

4. **गैर–घरेलू प्रयोजनों के लिये पेययोग्य जल का उपयोग करने पर प्रतिबंध**.– (1) जहां कहीं पुनर्चक्रित जल उपलब्ध हो, वहां उसका उपयोग, गैर–घरेलू प्रयोजनों के लिये किया जायेगा तथा पेययोग्य जल का उपयोग, घरेलू प्रयोजनों तक सीमित रहेगा।

(2) उप–खण्ड (1) का उल्लंघन, जल का अपव्यय माना जायेगा तथा अधिनियम की धारा 428 के अधीन अपराध के रूप में दण्डनीय होगा।

(3) प्रत्येक उपभोक्ता, जिसको ये उपविधियां लागू होती है, के लिये निम्नलिखित आवश्यक होगा–

(क) पुनर्चक्रण और पुनःउपयोग के प्रयोजन के लिए उसके परिसर में सृजित निकासी जल का संग्रहण करे;

(ख) उस स्थान पर निकासी जल के पुनर्चक्रण एवं निस्तारण प्रणाली की व्यवस्था करे;

(ग) पृथक पाईप लाईन एवं नलों (टैब्स) सहित निकासी जल के उपयोग के लिए परिसर के भीतर पुनर्चक्रण संबंधी आवश्यक अधोसंरचना ऐसी रीति में स्थापित करें, जिससे कि पेययोग्य जल का उपयोग, गैर–घरेलू प्रयोजनों के लिये संभव न हो तथा पुनर्चक्रित निकासी जल का उपयोग, गैर–घरेलू प्रयोजनों के लिये संभव हो।

स्पष्टीकरण– पेययोग्य जल और पुनर्चक्रित निकासी जल की पाईप लाईन (वितरण) व्यवस्थायें, किसी क्रास–सप्लाई (अदलाव–बदलाव) के बिना, पृथक पृथक होंगी।

(घ) विकास योजना में, निकासी जल के पुनर्चक्रण और निस्तारण व्यवस्थाओं का स्थल, दर्शित करें।

(4) कोई प्राधिकारी, उप–खण्ड (3) के उल्लंघन में, भवन अनुज्ञा प्रदान नहीं करेगा अथवा इसे प्रदान करने में सहायता नहीं करेगा।

(5) कोई प्राधिकारी, उप–खण्ड (1) के उल्लंघन में, जल आपूर्ति कनेक्शन प्रदान नहीं करेगा अथवा इसे प्रदान करने में सहायता नहीं करेगा।

(6) उप–खण्ड (4) और/या (5) के उल्लंघन में, किसी प्राधिकारी द्वारा की गई कोई भी कार्यवाही, शून्यवत और अमान्य होगा।

(7) संग्रहित निकासी जल का उपयोग, यथासंभव सीमा तक, परिसर के भीतर गैर घरेलू प्रयोजनों के लिये किया जायेगा।

स्पष्टीकरण– प्रसंस्करित जल का रिसाव, भू–जल के संवर्धन के लिये, उसका उपयोग माना जायेगा।

(8) यदि परिसर के भीतर गैर–घरेलू प्रयोजनों के लिये संग्रहित निकासी जल आवश्यकता से अधिक हो तो उसको निगम की अभिहित टंकी में स्थानांतरित किया जा सकेगा। ऐसे स्थानांतरण का मीटर और माप दर्ज किया जा सकेगा।

(9) विभिन्न परिसरों से उसकी (निगम की) टंकी में स्थानांतरित निकासी जल का मूल्य (दर), निगम द्वारा समय–समय पर, निर्धारित एवं पुनरीक्षित की जा सकेगी तथा ऐसी राशि, जैसा कि उसके द्वारा प्राप्त निकासी जल के विरूद्ध देय हो, को परिसरों के लिये जल आपूर्ति देयक में समायोजित की जा सकेगी और/या उसके द्वारा वसूली योग्य किन्हीं करों में उपभोक्ता राहत हेतु स्वीकृत की जा सकेगी।

(10) उप–खण्ड (8) या (9) में अन्तर्विष्ट कोई भी बात, पड़ोसी परिसर, चाहे वह किसी भी आकार का हो, उस परिसर को गैर घरेलू प्रयोजनों हेतु उपयोग के लिये, परस्पर सहमति शर्तों के आधार पर, सशुल्क या निःशुल्क, निकासी जल की आपूर्ति करने से, किसी परिसर के स्वामी को प्रतिबंधित नहीं करेगा।

(11) उपभोक्ता का यह सुनिश्चित करने का दायित्व होगा कि परिसर पर पुनःउपयोग के लिये पुनर्चक्रित निकासी जल के संग्रहण तथा संवहन हेतु स्थापित व्यवस्था, सभी समयों पर कियाशील हो।

(12) नगर निवेश, प्रदूषण निवारण, परिवहन तथा उद्योग से संबद्ध विनियामक निकाय, सहमति/अनुज्ञप्ति/अनुज्ञा प्रदान करते समय, अपनी मूल्यांकन टीप में, अनुज्ञप्ति या नवीन विकास अनुज्ञा के समय के जल के पुनःउपयोग संबंधी व्यवस्थाओं पर, विचार करेंगे तथा व्यवस्था बनायेंगे।

5. **उपविधियों का अनुपालन अपराध होगा.**– इन उपविधियों में अन्तर्विष्ट किन्हीं प्रावधानों के अनुपालन करने में विफल रहना और/या इन उपविधियों में अन्तर्विष्ट किन्हीं प्रावधानों के उल्लंघन में कार्य करना, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी अन्य दायित्व अथवा कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अधिनियम की धारा 428 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध होगा।

6. **जल अधीक्षक की नियुक्ति और उसकी शक्तियां.**– (1) इन उपविधियों के प्रावधानों के प्रवर्तन को प्रभावी बनाने के लिये, आयुक्त द्वारा ऐसे एक अधिकारी, जो कार्यपालन अभियंता की श्रेणी से निम्न का न हो, को जल अधीक्षक नियुक्त किया जायेगा।

(2) जल अधीक्षक को निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त होंगी:–

(क) इन उपविधियों में अन्तर्विष्ट प्रावधानों के उल्लंघन के लिये अर्थदण्ड एवं शास्ति अधिरोपित करने हेतु दर, आयुक्त तथा मेयर इन कौन्सिल के अनुमोदन के उपरांत, विहित करना;

(ख) जल निरीक्षकों द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु रीति एवं प्रारूप विहित करना;

(ग) जल निरीक्षकों के कार्यों की निगरानी करना;

(ध) अधिनियम की धारा 173 के अंतर्गत देयक (बिल) की प्रस्तुति के लिये इन उपविधियों और/या अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन संबंधी विनिर्दिष्ट प्रकरणों में आयुक्त को अनुशंसा करना;

(ड.) आयुक्त का अनुमोदन प्राप्त कर, ऐसी समस्त कार्यवाही करना जो कि इन उपविधियों के उद्देश्यों के क्रियान्वयन के लिये आवश्यक हो।

(3) जब तक कि जल अधीक्षक की नियुक्ति नहीं की गई हो, तब तक आयुक्त को जल अधीक्षक माना जायेगा।

7. **स्वयंसेवियों की जल निरीक्षक के रूप में नियुक्ति तथा उनके कृत्य.**– (1) इन उपविधियों के प्रवर्तन के लिये, आयुक्त, ऐसी संख्या, जैसा कि वह समुचित समझे, में स्वयंसेवियों को जल निरीक्षक के रूप में नियुक्त करेगा।

(2) जल निरीक्षक का निगम का कर्मचारी होना आवश्यक नहीं है।

(3) प्रत्येक जल निरीक्षक को निरीक्षण के लिये तथा इन उपविधियों के प्रवर्तन के लिये एक निश्चित कार्यक्षेत्र सौंपा जायेगा।

(4) जहां पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (कूड़ा प्रबंधन) का कार्य, निगम द्वारा बाह्य स्त्रोतों द्वारा किया जा रहा हो, वहां किसी व्यक्ति या ठेकेदार, जिसे ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (कूड़ा प्रबंधन) का कार्य सौंपा गया हो, को तत्स्थानी कार्यक्षेत्र के लिये जल निरीक्षक के रूप में नियुक्त किया जा सकेगा।

(5) जल निरीक्षक, यदि वह व्यक्ति है जो अन्यथा निगम का कर्मचारी नहीं है, तो उसे निगम का कर्मचारी नहीं माना जायेगा तथा उसे, कोई वेतन या अन्य प्रतिपूर्ति, जैसा कि इनके (निगम के) कर्मचारियों को देय हो, की पात्रता नहीं होगी।

(6) जल निरीक्षक किसी भी परिसर में जलापूर्ति, निकासी जल प्रबंधन तथा पुनर्चक्रित जल के उपयोग का निरीक्षण कर सकेगा तथा इन उपविधियों के उल्लंघन, यदि कोई हो, की रिपोर्ट अधीक्षक को प्रस्तुत कर सकेगा।

(7) जल निरीक्षक द्वारा अधिरोपित अर्थदण्ड का भुगतान न करना, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अंतर्गत किसी अन्य दायित्व या कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अधिनियम की धारा 428 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध माना जायेगा।

8. **अपील.**– (1) जल अधीक्षक के किसी कार्यवाही या आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, आदेश के जारी होने की तारीख से एक सप्ताह के भीतर, आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकेगा।

(2) आयुक्त के किसी कार्यवाही या आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, अधिनियम की धारा 184 के अंतर्गत अपील प्रस्तुत कर सकेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप–सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 8 सितम्बर 2014

क्रमांक एफ 5–19/18/2012.– भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 5–19/18/2012 दिनांक 10–09–2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप–सचिव.

Raipur, the 8th September 2014

NOTIFICATION

No. F 5-19/18/2012 ::- In exercise of the powers conferred by Section 432-A of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (Act No. 23 of 1956), the Government of Chhattisgarh, hereby, makes the following Model Bye-laws, namely:-

MODEL BYE-LAWS

1. **Short title, extent and commencement.**— (1) These bye-laws shall be called the Grey-water (Recycling and Re-use) Bye-laws, 2014.

(2) These bye-laws shall be applicable to the area covered under the administrative jurisdiction of the Municipal Corporations in the State of Chhattisgarh.

(3) These bye-laws shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.**— In these bye-laws, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" refers to the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (Act No. 23 of 1956);

(b) "Consumer" refers to the person, whether an individual or a firm or an institution or an industry or any other establishment, in whose name water connection has been granted by the Corporation or the agency managing water supply in the corporation area;

(c) "Domestic purposes of water" includes purposes that are directly related to human consumption like drinking, cooking, laundry, bathing, either in a home or in a hotel, office, industry or any other building or public place. It does not include purposes like car-washing, floor washing, gardening, cooling applications or any other uses not directly related to human consumption;

(d) "Non-domestic purposes" refers to all purposes other than the Domestic Purposes;

Explanation: Use of water for flushing purposes in toilets shall constitute Non-domestic purpose;

(e) "Grey-water" refers to the water that has once been used for Domestic Purposes;

(f) "Potable Water" **refers to potable** water fit for domestic uses including drinking, cooking and bathing;

(g) "Premise" refers to a house, hotel, residential, commercial or mixed complexes, shops, shopping malls, cinema theatres, public and private offices, industries, places of entertainment including parks and all buildings built or under construction;

(h) "Re-use" refers to the practice of collection and harmless re-use, after due treatment of Grey-water originally used for Domestic Purposes;

(i) "Wastage of water" refers to one or more of the following practices—

(i) Use of Potable Water for Non-domestic Purposes;

(ii) Failure in any premise to rectify systems, taps and valves to prevent loss of Potable Water due to leakages and/or negligent use of valves.

3. **Scope and application.**– (1) These bye-laws shall be applicable to –

(a) Every large building, irrespective of ownership or whether it is meant for residential, commercial, industrial or any other use, which has a plinth area of 2000 square meter or more and in respect of which building permission is applied for after these bye-laws come into force.

(b) Every Consumer whose average monthly, current or future, consumption of water exceeds 50 kilo litres.

(2) The Government or the Corporation may, by notification, include any other category of premise under the purview of these bye-laws.

4. **Restrictions on use of potable water for non-domestic purposes.**- (1) Wherever recycled water is available, it shall be used for non-domestic purposes and the use of potable water shall be restricted to domestic purposes.

(2) Non-compliance of sub-rule (1) shall amount to wastage of water, punishable as an offence under Section 428 of the Act.

(3) Every Consumer to whom these bye-laws apply shall be required to -

(a) Collected grey-water generated on his Premise for the purpose of recycling and re-use;

(b) Provide for onsite grey-water treatment and disposal system;

(c) Provide within the Premises necessary infrastructure for recycling of grey-water for use, including separate pipelines and taps, in a manner that disables use of potable water for non-domestic purposes and enables use of recycled grey-water for non-domestic purposes;

Explanation: The pipelines system for potable water and grey-water shall be exclusive without any provision for cross-supply;

(d) Indicate in the development plans, the location of facilities for treatment and disposal of grey-water.

(4) No authority shall grant or facilitate grant of building permission in contravention of sub-rule (3).

(5) No authority shall grant or facilitate grant of water supply connection in contravention of sub-rule (1).

(6) Any action by any authority done in contravention of sub-rule (4) and/or (5) shall be null and void.

(7) The grey-water collected shall be used, up to extent feasible, within the premises for non-domestic purposes.

Explanation: Percolation of recycled water to re-charge ground water shall constitute a use.

(8) If the grey-water collected is in excess of the requirement for non-domestic purposes within the premises, the same may be transferred to the designated grey-water reservoir of the Corporation. Such transfer may be metered and measured.

(9) The Corporation may fix and revise, from time to time, price for grey-water transferred from various Premises into its reservoirs, and adjust in the water-supply bill for the Premises and/or grant to the consumer relief in any tax(es) recoverable by it, such amount as may be payable against the grey-water received by it.

(10) Nothing contained in sub-rule (8) or (9) shall prevent any premise from supplying grey-water to neighbouring premises, of whatever size on mutually agreed terms with or without charges, for use on such premise for non-domestic purposes.

(11) It shall be the responsibility of the consumer to ensure that the system(s) for recycling and conveyance of recycled grey-water for re-use on the premise are functional at all times.

(12) Regulatory bodies dealing with town planning, pollution control, transport and industry shall at the time of licensing or permitting new developments in their appraisal note leading to grant of consent/license/permission consider and make a reference regarding water re-use.

5. **Non-compliance of bye-laws to constitute an offence.**– Failure to comply with any of the provisions contained in these bye-laws and/or acting in contravention of any of the provisions contained in these bye-laws shall, without prejudice to any other liability or action under any other law for the time being in force, constitute an offence punishable under Section 428 of the Act.

6. **Appointment and powers of the water superintendent.**– (1) The Commissioner shall appoint an officer not below the rank of an Executive Engineer as Water Superintendent for effective enforcement of the provisions of these bye-laws .

(2) The Water Superintendent shall have following powers, namely:-

(a) To prescribe after approval of the Commissioner and the Mayor-in-Council, rates for imposition of fines and penalties for violation of the provisions contained in these bye-laws;

(b) To prescribe the manner and format for filing of inspection reports by the Water Inspectors;

(c) To oversee the work of the Water Inspectors;

(d) To recommend to the Commissioner, specific cases of violations of these bye-laws and/or provisions of the Act for presentation of bill under Section 173 of the Act;

(e) To do, under the approval of the Commissioner, all action that may be necessary to carry out the purposes of these bye-laws.

(3) Until the Water Superintendent has not been appointed, the Commissioner shall be deemed to be the Superintendent.

7. **Appointment of volunteers as water Inspectors and their functions.**– (1) The Commissioner shall appoint volunteers as water Inspectors for the enforcement of these bye-laws , in such numbers as may be deemed appropriate.

(2) The Water Inspector need not be an employee of the Corporation.

(3) Each Water Inspector shall be assigned a well defined territory for inspection and enforcement of these bye-laws.

(4) Whenever the task of solid waste management is outsourced by the Corporation, the person or contractor who has been assigned the task of solid waste management may be appointed as Water Inspector for the corresponding area.

(5) The Water Inspector, if he is a person who is otherwise not an employee of the Corporation, shall not be deemed to be an employee of the Corporation and shall not be eligible for any salary or other compensation as may be payable to its employees.

(6) The Water Inspector may inspect the water supply, grey-water management and recycled water use in any premise and report violations under these bye-laws, if any, to the Superintendent.

(7) Non-payment of fine imposed by Water Inspector shall, without prejudice to any other liability or action under any other law for the time being in force, constitute an offence punishable under Section 428 of the Act.

8. **Appeal.**– (1) Any person aggrieved by any action or order of the Water Superintendent may appeal before the Commissioner within one week of date of issue of the order.

(2) Any person aggrieved by any action or order of the Commissioner may appeal under Section 184 of the Act.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
JITENDRA SHUKLA, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.